

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : गृबीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3530

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में
परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक
(30) के (आ-आ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-
महाविद्यालय का नाम : बी.आई.एम.आर. नर्सिंग महाविद्यालय, सूर्य मंदिर रोड, रेजीडेन्ची, ग्वालियर (म.प्र.)
मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. एस.पी. शर्मा
2. श्रीमती कस्तूरी बाई बरेला, सदस्य, कार्यपरिषद्

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. नर्सिंग महाविद्यालय सूर्य मंदिर रोड, रेजीडेन्ची, ग्वालियर (म.प्र.) की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पद व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यह पूर्ण में पत्र व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अस्थै लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4171

दिनांक: 07-12-11

// सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बी.आई.एम.आर. नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2405662) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-सी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम अक्षय/पाठ्यक्रमों/विषयों की स्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(9)(2) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. एस.के. शुक्ला, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442633)
- (2) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. अनुराग चौहान, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।
- (4) डॉ. रेणुका दास, प्राचार्या, पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जब विकास व्यास, कैसर पहाड़ी, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडीनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों को पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण। अनुशंसाएँ अंकित करें; महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त विधीनित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें; निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गव्हन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वयं निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गव्हन हेतु महाविद्यालय को टण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देबा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबोधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि सन्निधि के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : ग्वालियर
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4336

दिनांक: 06/01/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बी.आई.एम.आर.नर्सिंग महाविद्यालय सूर्य मंदिर रोड, रेजीडेंसी, ग्वालियर (0751-2405662) को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बैसिक बी.एस-सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष, एवं पोस्ट बैसिक बी.एस-सी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अनुर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. बाबार्य, जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442793)

(2) प्रो. रेणुका दास, प्राचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कैंसर पहाड़ी, ग्वालियर।

(3) प्रो. राधा तोमर, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि को बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त नियमानुसार समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः नियस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण खर्च रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियांसित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुङ्गा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समग्र पत्र लघुकार कूलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बान से ही लिखा जाए व
कि किसी अन्य प्रशासिकरी के लाल से।
राज्यपाल विभाग पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं विवाक
अवधारणा जाए जिससे तापिणा हो।



ग्राम : गृनीविल्सी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कूलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4668

दिनांक: 16/03/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ बर्सिंग, सूर्य मंदिर रोड, रेजीडेंसी, ग्वालियर (0751-2405662) को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रत्याहित/संचालित एम.एस.-सी. बर्सिंग प्रवान वर्ष, एवं एम.एस.-सी. बर्सिंग द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अत्याधी अवधारणा हेतु अबुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महादय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)

(2) प्रो. डी.एन. गोप्यानी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) प्रो. रेषुका दास, आचार्य, कॉलेज ऑफ बर्सिंग जन विकास व्यास केन्द्र पहाड़िया, ग्वालियर।

(4) डॉ. अनुराग चौहान, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के ग्रावधारों के अवूरुप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धोने वाले, यांचित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉक, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अलग, ब्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेंस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉक की विद्युतियों का प्रमाण एवं बेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अबुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों द्वारा स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उत्त विधीनित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में भेजा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित विरीक्षण समिति / संयोजक का दोगा।

समिति नब्बे का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देवी के लिए महाविद्यालय रख्य उत्तराधी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति खत बिरुद्ध हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति नब्बे हेतु महाविद्यालय को दण्ड खत्यारप. रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात ही निरीक्षण समिति का पुनर्वाचन किया जावेगा। परिनियम 27(1)(7) के अनुसार अवधारणा प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रवेश देवा अवैधानिक है।


निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यात् अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जारीने तथा महाविद्यालय की वर्तुलिक्षण से निरीक्षण समिति को अवगत करावें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. डी.ए. / मानवेय महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

बोर्ड- निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है, आई.ए.ए.सी. के बार्फ को सुनिश्चित करने के उपरांत ही कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।


कूलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधीनित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उत्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सलतुडा भवन, भोपाल
4. कूलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कूलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कूलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज
कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।
उपलब्धित विषय पर यदि पूर्ण न हो पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संवेद्य हो।



ग्राह : गृनीजसिटी
फ़ोनमध्य : 0091-(0751) 2442801
(कॉर्पोरेशन)
2442462 (डिवारा)
फ़ैक्ट्री : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwi@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बल्पुत्र/2012/५०५७

दिनांक : 25/८/१२

// आधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की वैठक दिनांक 02 मई, 2012 के पद क्रमांक (05) के निर्णयानुसार बी.आई.एम.आर नर्सिंग माइक्रोबिलिटी, सूर्य मंदिर रोड, रेजीडेंसी, ग्वालियर को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बैसिक बी.एस.-सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष, एवं पोस्ट बैसिक बी.एस.-सी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बल्पुत्र विन्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय कॉलेज कोड 28(17) के अन्तर्गतएक प्रोफेसर तीन एसोसिएट प्रोफेसर एवं एक क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र अतिशीघ्र कराये।
2. महाविद्यालय द्वारा कॉलेज कोड 28(17) के अन्तर्गत नियुक्त प्राचार्य, शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्ष, क्रीड़ा अधिकारी आदि को नियान्त्रित वेतनमान (पे-रॉकेल) दिया जावे।
3. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य, शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्ष, क्रीड़ा अधिकारी आदि का नियमानुसार पी.एफ. का कठोरता किया जावे एवं पी.एफ खाते में कठोरता की गई राशि का जमा करना सुनिश्चित किया जावे।
4. महाविद्यालय द्वारा सी.ए.एन प्रयोगशाला में आईएन.सी.के. मापदण्डों के अनुसार, महाविद्यालय में संचालित विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों में नियान्त्रित सीट संख्या के अनुसार विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को शीघ्र -अति शीघ्र दी जावे।
5. महाविद्यालय द्वारा दो लाख रुपये की छोट-कूद की सामग्री क्रय कर विश्वविद्यालय को स्टॉक रजिस्टर के छायाप्रति के साथ सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

*आदेशानुसार
3 मई 2013
कुलसचिव*

प्रति,

1. प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. नर्सिंग महाविद्यालय, सूर्य मंदिर रोड, रेजीडेंसी, ग्वालियर
2. सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौसिल, टैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Rdl
उपकुलसचिव (सम्बल्पुत्र)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

ग्रामीण या अन्यकार सुनाविले जीवाली
प्रियमानेकाम का जल तो ही छिप आरो अ
हो भित्री जल ज्ञानालीकी का जल हो।



ANSWER : (0.751) 2.142898
(0.751) 2.142899
ANSWER : (0.751) 2.142898

प्रियक :
कुप्रसारित
जीवनदी मैत्रीलिङ्गालय
मालिहर
कुप्रसारिक/सभावहारा/

Date: 13/3/12

// सर्वजा //

जीवांशु विश्वविद्यालय, नवलिंगर से अस्त्र-आट वैत्तिक नवनिष्ठवाचार्य, नवालिंगर (0751-2403662) को सभा 2011-12 के लिये प्रबन्धित-संचालित बीएस-ई. नविंग, पालवाला वक्ता पाठ्यक्रमों विधियों की अखण्डता संभवता हेतु अनुच्छेदों प्रताल करने के लिये अधिकारी अस्त्र-आटवाचार्य विधियों विधिवाचार्य, नवालिंगर ने विश्वविद्यालय अधिकारित 1973 के अधिकारित 27/10 के अंतर्गत विवरणात्मक विधियों विधियों का मानना किया है।-

- (1) श्री. राजीव जैव, अधिकारी महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.डि.टि. व्यासिंघरे (0751-2442828)
 - (2) डॉ. अंतुरेन गौलाळ, अवार्क, जी.आरएम.सी., व्यासिंघरे।
 - (3) डॉ. व्याप्ति मोहिनी, अवार्क, जी.आरएम.सी., व्यासिंघरे।
 - (4) मृ. सुच्यन जवऱ्य, जी.आरएम.सी., कॉलेजरु, व्यासिंघरे।

(संयोजक)

विरोध राज्यों के सदरमों से अनुरोध है कि वे परिवेश 27/28 के प्रत्यावर्त्त के अनुचलन नहीं प्रयोग करते, बल्कि उपर दर्शि, वासित वित्तीयिक असंबोधित स्थैति, प्राप्तिकृत संक्षय के बाप्त अनुदायी/अनुपायी प्रशासन-एज, अपन, और परिवर्त एवं प्राप्तिकृत असंबोधित तथा विभिन्न तरफ में दी गई तरीं वी पूर्ण तरफ प्राप्ति के लाला प्राप्तिकृत संक्षय के असंबोधित स्थैति के अनुदायी/अनुपायी प्रशासन-एज, अपन, और परिवर्त एवं प्राप्तिकृत संक्षय की विद्युतिकरण का व्यवस्था एवं वेतन अंति के कामे में व्यष्ट विभाग-अनुसारी अधिकारी करें। वित्तीयिकृत प्राप्तिकृत संक्षय का प्राप्ति की एवं विवर के अन्वय वित्तीयिकृत संक्षय के अन्वय करते वित्तीयिकृत तथा विभिन्न सदरमों में अवर्क्ष लालायि एवं वित्तीयिकृत करवायें। संक्षित अंतोंकृत से विवेद है कि वे उक्त वित्तीयिकृत सदरमों में वित्तीयिकृत करें एवं प्रतिवेदन 07 विवर में वित्तीयिकृत करवायित ते जल्द करें। वित्तीयिकृत प्रतिवेदन व्यवस्था करवाये का अवास्थायित वित्तीयिकृत संक्षयि, संक्षेपक का होता।

तात्परी नवक का एक प्राप्त दोषों के बारे विवेचन में की गई दृष्टि के द्वारा जलविधायक वर्ष उत्तराधीनी द्वारा विद्युती दूसरा अनुकूल, उत्तर विश्वा, और भूमत की दौड़ीयों की लाभदाता है। इस अनुकूलतामय ०३ वर्ष में विवेचन अपनी कारबाह है तो अधिकृत व्यापार विद्युतों से ज्यादातर और पुनर विवेचन विधायक वर्ष तक विधायक वर्ष के ८० वर्ष में १०, २५,०००- वर्षान् वर्षों में विवेचन अपनी दौड़ीयों का पूर्णतम विद्युत व्यापार है। परिवर्तन २०११(1/7) के अनुसार उल्लङ्घन व्यापार द्वारा विद्युत व्यापार को प्राप्त करने वाली है।

विरुद्ध लक्षिती के साथ अन्यकूल भावा में कार्यक अधीक्ष / कार्यसंग उपलब्ध प्रजासती लेकर प्राप्ति का सम्बोधितात्मकी व्यवस्थापनी से विरुद्ध लक्षिती को अवश्य करायें। विरुद्ध लक्षिती के चरणों को दैन / शैष नियमितात्मक रूप से देय हो।

3m⁻⁵

卷之三

1. संकालन उद्देश्यों की ओर मुख्यतः एवं अवश्यक कार्यक्रमीय है।
 2. वार्षिक/जारीका, तीव्रतिंत महाप्रियासंबन्ध की ओर भेजकर अवधि है कि लाइसेंस के संयोजक से संपर्क स्थापित कर दिया जाना चाहिए कि वार्षिक संबन्ध करायें। उच्च नियीनता 15 दिवस के अन्दर कराये की वार्ता करता है।
 3. आवास उच्च विद्या, सहायता भवन, भौतिक
 4. कृषकप्रियावाच, योगीयी विश्वविद्यालय, व्याख्याल
 5. कृषकप्रियी के टाकिया / कृषकउद्दिष्ट के निवासी कलाकार, लौकार्य विश्वविद्यालय, गुरु ब्रह्म

 डॉ. कुलदीप द्वे (लक्ष्मणस्ता)